अपील सूचना अधिकार संख्या 156/2020 (RCMS 2020/00278) संजय कुमार पुत्र सुरजाराम C/o ई–सेवा केन्द्र 10 डी ओ एल तहसील रावला जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नं 98751–62259)<u>बनाम</u> उपखण्ड अधिकारी, घड़साना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>11.08.2020</u>

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी संजय कुमार उपस्थित नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, घड़साना से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत एक आवेदन पत्र दिनांक 12.10.2020 प्रस्तुत करके चार बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचना दिलवाने की प्रार्थना की है

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री संजय कुमार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 12.10.2020 से लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी:

1. इस कार्यालय का मासिक प्रगति प्रतिवेदन (एमपीआर) राजस्व अप्रेल 2020 से सितम्बर 2020 तक।
2. उपखण्ड अधिकारी द्वार 1 अप्रैल 2020 से 30 सितम्बर 2020 तक किये गये दौरे(भ्रमण) को दर्शाने वाले दस्तावेज।
3. इस कार्यालय 1 अप्रैल 2020 से 30 सितम्बर 2020 तक प्राप्त शिकायती पत्र व उन पर इस कार्यालय द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले [illegible]।
4. इस कार्यालय पत्र क्रमांक [illegible] 2019/2968 दिनांक 10.10.2019 के संबध में आज दिनांक हुई कार्यवाही, पत्राचार, जांच, वसूली व मुकदमा यदि कोई हो तो दर्शाने वाले दस्तावेज।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:11:45 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

इस कार्यलय के पत्रांक सीजी/वाचक/20/1649 दिनांक 16.12.2020 एवं स्मरण पत्र सीजी/वाचक/21/300 दिनांक 16.03.2021 से अपीलार्थी की अपील के सम्बन्ध में टिप्पणी मय कार्यालय का रिकॉर्ड चाहा गया था जो दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ है। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 में निम्न प्रकार से प्रावधान हैः

<u>धारा 7 अनुरोध का निपटारा</u> : (1) धारा 5 की उप धारा (2)के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।

परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:11:45 IST
Reason: SelfAttested

चूंकि लोक सूचना अ[illegible]रा अपीलार्थी के धारा 6(3) के प्रार्थना पत्र पर सू[illegible] जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया है जबकि धारा 7([illegible]) के तहत 30 दिवस में निर्णय लिया जाना आवश्यक हैं इसलिए प्रार्थी की अपील स्वीकार करने योग्य है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है और लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, घड़साना को **आदेश दिया जाता है कि** अपीलार्थी चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में 10 दिवस में निर्णय लेकर प्रार्थी को सूचित करें। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, घड़साना को **पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जाकिर हुसैन)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:11:45 IST
Reason: SelfAttested